

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्या : 1/2018 गुण्डा नियंत्रण एक्ट

अनवानी :- पम्मा उर्फ परमजीत पुत्र सोहनसिंह जाति मेहरा सिख निवासी वार्ड नं08,
केसरीसिंहपुर तहसील करणपुर, जिला श्रीगंगानगर ।

----- अपीलान्त

--- बनाम ---

स्टेट जरिये सहायक लोक अभियोजक, बीकानेर ।

----- रेस्पोंडेन्ट

उपस्थित :- श्री संजय रामावत
श्री चतुर्भुज शर्मा

अभिभाषक अपीलान्त ।
सहायक लोक अभियोजक
राज्य पक्ष की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 16.1.2019

1. यह अपील राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 6(1) के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, (नगर) श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 4.9.2018 जिसके द्वारा अपीलान्त को राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3(3) के अन्तर्गत गुण्डा घोषित किया जाकर जिला क्षेत्र श्रीगंगानगर से 6 माह की अवधि के लिए निष्कासित करने के आदेश दिये गये, के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 29.12.17 को जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के समक्ष राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत अपीलार्थी पम्मा उर्फ परमजीत पुत्र सोहनसिंह जाति मेहरा सिख निवासी वार्ड नं08, केसरीसिंहपुर तहसील करणपुर, जिला श्रीगंगानगर के विरुद्ध इस्तगासा इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि गैरसायल अपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है तथा सट्टा की खाईवाली करने का आदी है, इसकी आपराधिक गतिविधियां निरन्तर बढ़ रही है । गैरसायल की गतिविधियों से क्षेत्र की जनता की सम्पत्ति एवं जनता की सुरक्षा को खतरा है । गैर सायल के खिलाफ लोग अपनी जान एवं सम्पत्ति के नुकसान के भय के कारण गवाही देने को तैयार नहीं है । इसके विरुद्ध कुल 5 प्रकरण जुआ अधिनियम के दर्ज हुए हैं, सभी प्रकरणों में बाद अनुसन्धान न्यायालय में चालान पेश किया गया एवं सक्षम न्यायालय द्वारा सभी 5 प्रकरणों में गैर सायल को सजायाब फरमाया है । गैर सायल गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (ख) की श्रेणी में आता है ।
3. उपर्युक्त इस्तगासा प्रस्तुत होने पर न्यायालय अति.जिला मजिस्ट्रेट,(नगर) श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 30.1.18 को अपीलान्त के निमित्त अनुसूची प्रपत्र-1 में आरोपों की सूचना देते हुए जवाब स्पष्टीकरण हेतु नोटिस जारी कर दिनांक 7.3.18 की तारीख पेशी दी गयी । प्रकरण


संभागीय आयुक्त
बीकानेर

में निर्धारित तारीख पेशी दिनांक 7.3.18 को अपीलान्त के निमित्त सम्मन तामील नहीं होने पर पुनः सम्मन जारी किया गया एवं दिनांक 15.6.18 अपीलान्त के उपस्थित होने के पश्चात् दिनांक 4.9.18 को जवाब नोटिस पेश किया गया । अपीलान्त द्वारा जवाब नोटिस पेश करने के पश्चात् न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, (नगर) श्रीगंगानगर ने दिनांक 4.9.18 को ही निर्णय पारित कर अपीलान्त के विरुद्ध गुण्डा नियंत्रण एक्ट की धारा 3 की उप धारा 1 के खण्ड (क)(ख) और (ग) में विरचित तीनों आरोप सिद्ध मानते हुए धारा 3(3) के अन्तर्गत गुण्डा घोषित कर अपीलान्त को जिला क्षेत्र श्रीगंगानगर से 6 माह की अवधि के लिए निष्कासित करने तथा थानाधिकारी पुलिस थाना हनुमानगढ़ जं० में रिपोर्ट प्रस्तुत करने व मुख्यालय हनुमानगढ़ में रहने के आदेश दिये । न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, (नगर) श्रीगंगानगर के उक्त आदेश दिनांक 4.9.2018 के विरुद्ध गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत अपीलान्त द्वारा इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है ।

4. उक्त अपील प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड प्राप्त किया गया । प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्त एवं सहायक लोक अभियोजक की बहस सुनी गयी ।
5. अभिभाषक अपीलान्त ने अपनी बहस में बताया कि पुलिस थाना केसरीसिंहपुर द्वारा प्रार्थी अपीलान्त को जिन मुकदमों में सजायाब होना बताया है, वह 13 आरपीजीओ. के प्रकरण है, जिनमें प्रार्थी अपीलान्त ने लोक अदालत की भावना से निर्णय करवाया है । उक्त जुआ सट्टा के प्रकरणों में अपीलान्त के सजायाब होने से समाज के किसी भी वर्ग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की कोई सम्भावना नहीं है । 13 आरपीजीओ. के अपराध गम्भीर प्रकृति के अपराध की श्रेणी में नहीं आते हैं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, जिसमें प्रार्थी अपीलान्त से किसी व्यक्ति को भय हो व किसी को अपीलान्त से अपनी सुरक्षा का खतरा हो । अधीनस्थ न्यायालय ने किसी भी गवाह की साक्ष्य रिकॉर्ड पर नहीं लिया गया है तथा प्रस्तुत इस्तगासे से ऐसा कहीं भी जाहिर नहीं होता है कि अपीलान्त गुण्डा की परिभाषा में आता हो । अतः अपील अपीलान्त स्वीकर फरमाई जाकर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(नगर) श्रीगंगानगर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 4-9-2018 निरस्त फरमाया जावे ।
6. प्रकरण में राज्य पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक ने अपनी बहस में बताया कि अपीलान्त के विरुद्ध धारा 13 आरपीजीओ के तहत कुल 5 प्रकरण दर्ज हुए, जिनमें बाद अनुसन्धान न्यायालय में चालान पेश किया गया तथा सक्षम न्यायालय द्वारा सभी प्रकरणों में अपीलान्त को सजायाब फरमाया गया है । प्रकरण में धारा 3(1) की उप धारा "क" "ख" "ग" में विनिर्दिष्ट स्थितियों को सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा साक्ष्य रपट रोजनामचा दिनांक 26.11.2017 प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार अपीलान्त चोरी छिपे जुआ सट्टों की खाईवाली करता है, आम लोगों को थाने में सूचना देने से धमकाता है । समाज के लोग अपीलान्त के कृत्य से अपनी जान एवं सम्पत्ति के नुकसान से भयभीत होने


संभागीय अभ्युक्त
बीकानेर

के कारण लोग इसके विरुद्ध गवाही देने से डरते हैं । गैर सायल गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (ख) की श्रेणी में आता है । अतः अपील अपीलान्त निरस्त फरमाई जावे ।

7. हमने उभय पक्ष की बहस को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा दिनांक 29.12.17 के अनुसार अपीलार्थी के विरुद्ध जुआ अधिनियम की धारा 13 अन्तर्गत निम्नलिखित 5 मुकदमे दर्ज होकर बाद अनुसन्धान न्यायालय में चालान पेश होने पर सक्षम न्यायालय द्वारा सजायाब किया गया है :-

क्र.सं.	मु.नं. व दिनांक	धारा	न्यायालय निर्णय दिनांक	नतीजा
1	158/25.6.13	13 RPGO	1.8.13	सजा
2	110/1.5.13	13 RPGO	21.5.13	सजा
3	357/24.11.14	13 RPGO	2.12.14	सजा
4	241/28.10.16	13 RPGO	23.11.16	सजा
5	75/22.4.17	13 RPGO	25.5.17	सजा

8. राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत जिले से निष्कासन हेतु निम्नलिखित तीन शर्तों का होना आवश्यक है :-

9. क- वह व्यक्ति गुण्डा हो ।

ख- (i) उसकी गतिविधियों से जिले/किसी भाग में व्यक्तियों की सम्पत्ति को खतरा उत्पन्न कराने या नुकसान कराने वाली है ।

(ii) वह व्यक्ति धारा 2 के खण्ड (ख) के उपखण्ड (i) से (vi) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध या कृत्य के करने या उसके लिए दुष्प्रेरित करने में लगा हुआ है ।

ग- साक्षीगण अपने शरीर या सम्पत्ति की सुरक्षा के सम्बन्ध में आशंकित होने के कारण उसके विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए आगे आने के इच्छुक नहीं है ।


10. राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 2-ख(5) अनुसार राजस्थान लोक धूत अध्यादेश 1949 के अधीन कम से कम दो बार दोष सिद्ध होने पर वह गुण्डा की श्रेणी में आता है । अपीलार्थी के विरुद्ध धारा 13 आरपीजीओ के अन्तर्गत कुल 5 मुकदमे दर्ज हुए तथा पांचों प्रकरणों में न्यायालय द्वारा अपीलान्त को सजायाब किया गया है । इस प्रकार अपीलार्थी धारा 2 ख (5) अनुसार गुण्डा की परिभाषा में आता है । प्रकरण में नकल रपट रोजनामचा आम दिनांक 26.11.17 के अनुसार अपीलान्त चोरी छिपे जुआ सट्टों की खाईवाली करता है, आम लोगों को थाने में सूचना देने से धमकाता है । समाज के लोग अपीलान्त के कृत्य से अपनी जान एवं सम्पत्ति के नुकसान से भयभीत है तथा लोग इसके विरुद्ध गवाही देने से डरते हैं । प्रकरण में प्रार्थी अपीलान्त द्वारा अपने बचाव पक्ष में कोई गवाह पेश नहीं किया है ।

11. उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अपीलान्त गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 ख की उप धारा (5) के अन्तर्गत गुण्डे की परिभाषा में आता है । रपट रोजनामचा आम दिनांक 26.11.17 के अनुसार अपीलार्थी अवैध सट्टे के कारोबार


सभागीर अनुपम
बीकानेर

में लिप्त है । अपीलार्थी का लोगों में भय है एवम् भय के कारण आमजन अपीलान्त के विरुद्ध शिकायत करने से डरते हैं । अपीलान्त के भय से आमजन की सम्पत्ति को खतरा एवं संत्रास है । इस प्रकार अपीलान्त के विरुद्ध गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 की उप धारा (1) के खण्ड "क" "ख" "ग" में विनिर्दिष्ट तीनों शर्तें पूरी होने से न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (नगर) श्रीगंगानगर द्वारा अपीलान्त को 6 माह की अवधि के लिए जिला क्षेत्र श्रीगंगानगर से निष्कासित करते हुए निष्कासित अवधि में जिला हनुमानगढ़ में थानाधिकारी, पुलिस थाना हनुमानगढ़ जं० को रिपोर्ट दिये जाने के आदेश दिये गये हैं, उसमें हम किसी भी प्रकार से परिवर्तन किया जाना उचित नहीं समझते हैं । अतः निष्कासन की सजा को यथावत रखते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (नगर) श्रीगंगानगर अपीलार्थीन आदेश दिनांक 4.9.2018 यथावत रखते हुए अपील अपीलान्त खारिज की जाती है ।

12. तदनुसार अपील अपीलान्त निर्णीत शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड मय निर्णय प्रति सहित लौटाया जाकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । निर्णय आज दिनांक 16.1.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।


(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर